

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संचिका संख्या-6/एफ1-02/2026 श्र0सं0- 5130

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त (मु०)।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सिवान/बक्सर/मधेपुरा/सीतामढ़ी/किशनगंज/सुपौल/पटना/
सारण (छपरा)/बेगूसराय एवं जमुई।

उप श्रमायुक्त, दरभंगा।

सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)।

श्रम अधीक्षक, मधेपुरा एवं सिवान।

पटना, दिनांक- 27/07/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण के अन्तर्गत विपत्र कोड-26-2230011030103 (सामान्य श्रेणी), विपत्र कोड-26-2230017890104 (अनुसूचित जाति श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017960102 (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

3 (क). मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :-

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	12	60000	श्रम अधीक्षक, सिवान का पत्रांक-941, दिनांक-24.07.2026 के आलोक में।
2	37.01	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	02	10000	श्रम अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-728, दिनांक-17.07.2026 एवं पत्रांक-772, दिनांक-30.07.2026 के आलोक में।
3	37.01	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	19	95000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा का पत्रांक-680, दिनांक-29.07.2026 के आलोक में।
4	37.01	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	38	190000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी का पत्रांक-924, दिनांक-24.07.2026 के आलोक में।
5	37.01	किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	01	5000	श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-894, दिनांक-31.07.2026 के आलोक में।
6	37.01	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	12	60000	श्रम अधीक्षक, सुपौल का पत्रांक-1034, दिनांक-30.07.2026 के आलोक में।

(म)

7	37.01	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	10	50000	श्रम अधीक्षक (अधिनियम), पटना का पत्रांक-4244, दिनांक-03.08.2026 के आलोक में।
8	37.01	सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	04	20000	श्रम अधीक्षक (अधिनियम), सारण (छपरा) का पत्रांक-1715, दिनांक-03.08.2026 के आलोक में।
9	37.01	बेगूसराय	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	04	20000	श्रम अधीक्षक बेगूसराय का पत्रांक-946, दिनांक-21.05.2026 के आलोक में।
10	37.01	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	07	35000	श्रम अधीक्षक जमुई का पत्रांक-634, दिनांक-13.08.2026 के आलोक में।

3 (ख). मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषय शीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/-राशन एवं 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषय शीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषय शीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त दरभंगा	13	36400	1300	1300	39000	उप श्रमायुक्त दरभंगा के पत्रांक-2472 दिनांक-14.07.2026 के आलोक में।
2	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	18	50400	1800	1800	54000	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-1182 दिनांक-24.07.2026 के आलोक में।
3	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	25	70000	2500	2500	75000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-604 दिनांक-13.07.2026 के आलोक में।
4	श्रम अधीक्षक, सिवान	23	64400	2300	2300	69000	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-1033 दिनांक-13.08.2026 के आलोक में।

4 (क). मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

(म)

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	09	45000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा का पत्रांक-680, दिनांक-29.07.2026 के आलोक में।
2	37.01	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	09	45000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी का पत्रांक-924, दिनांक-24.07.2026 के आलोक में।
3	37.01	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	03	15000	श्रम अधीक्षक (अधिनियम), पटना का पत्रांक-4244, दिनांक-03.08.2026 के आलोक में।
4	37.01	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	02	10000	श्रम अधीक्षक जमुई का पत्रांक-634, दिनांक-13.08.2026 के आलोक में।

4 (ख). मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-मांग संख्या-26-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/- की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषय शीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/-राशन एवं 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषय शीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषय शीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त दरभंगा	05	14000	500	500	15000	उप श्रमायुक्त दरभंगा के पत्रांक-2472 दिनांक-14.07.2026 के आलोक में।
2	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	13	36400	1300	1300	39000	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-1182 दिनांक-24.07.2026 के आलोक में।
3	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	08	22400	800	800	24000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-604 दिनांक-13.07.2026 के आलोक में।
4	श्रम अधीक्षक, सिवान	10	28000	1000	1000	30000	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-1033 दिनांक-13.08.2026 के आलोक में।

5. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0102-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु: -

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	01	5000	श्रम अधीक्षक जमुई का पत्रांक-634, दिनांक-13.08.2026 के आलोक में।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2121, दिनांक-16.04.2026 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में "बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना" अनुदान की राशि रु 3000/- (रु तीन हजार) की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु एवं रु 5000/- (रु पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल कर के राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग कोई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी० भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वरूपराज

27/08/26
(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त (मु०)।

ज्ञापांक: 6/एफ1-02/2026 श्र०सं०- 5130

पटना, दिनांक- 27/8/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष)/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार एवं कृत कार्यवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वरूपराज

27/08/26
(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त (मु०)।